भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 609
(दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

पश्चिम बंगाल में समाचार पत्रों और समाचार चैनलों को डीएवीपी विज्ञापन

609. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के समाचार-पत्रों और समाचार चैनलों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा जारी विज्ञापनों की मीडिया-वार कुल राशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में डीएवीपी से विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचार पत्रों और समाचार चैनलों की सूची क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या बंगाली भाषा सहित छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्रों को बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और चैनलों की तुलना में उनके अनुसार विज्ञापन सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल के मीडिया हाउस में विज्ञापन देने के लिए डीएवीपी/सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ कम्युनिकेशन (सीबीसी) ने क्या मापदंड अपनाए हैं; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों और चैनलों को विज्ञापन निधि का निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): केन्द्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की ओर से भारत सरकार की स्कीमों/कार्यक्रमों एवं अन्य पहलों से संबंधित विज्ञापन जारी करता है।

समाचार पत्रों से संबंधित विज्ञापन प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अनुसार और समाचार चैनलों से संबंधित विज्ञापन ऑडियो-विज़ुअल नीति दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए जाते हैं। विज्ञापन संबंधित मंत्रालय/विभागों की आवश्यकताओं तथा अभियानों के लक्षित दर्शकों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

विज्ञापन नीतियों/दिशानिर्देशों का विवरण और जिन समाचार पत्रों और समाचार चैनलों को विज्ञापन दिए गए हैं, उनकी जानकारी केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) की वेबसाइट अर्थात् www.davp.nic.in पर मौजूद है।

****